राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सहायक आचार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग–2021

पात्रता जांच हेतु काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. अभ्यर्थी काउन्सलिंग दिनांक एवं समय का विशेष ध्यान रखें। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म दो प्रतियों में तथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एक प्रति में प्रस्तुत करने है। विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक करें, यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो "लागू नहीं" अंकित करें। साथ ही रू. 50/– का भा.पो.ऑ. बतौर शुल्क विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
3. काउन्सलिंग में उपस्थित होने के समय अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र, अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लानी हैं। अभ्यर्थी यदि सेवारत हो तो एन.ओ.सी. एवं उसकी फोटो प्रति भी अवश्य साथ लेकर आवें।
4. अभ्यर्थी को निम्न मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हैं:–

   (i) Secondary/High School Mark sheet, Certificate
   (ii) Hr. Sec./Sr.Sec. Mark sheet, Certificate
   (iii) MBBS Mark Sheets, Degree and Attempt Certificate
   (iv) MD/MS/DNB Degree/Provisional Certificate and Attempt Certificate
   (v) M.Sc. Degree/Provisional Certificate
   (vi) Ph.D./D.Sc. Degree/Provisional Certificate
   (vii) DM/MCh/DNB Degree/Provisional Certifecate and Attempt Certificate.
   (viii) Registration Certificate (RMC/MCI)
   (ix) 03Years Junior Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor Experience Certificate.
   (x) One Year Teaching Experience as Senior Resident/Assistant Professor in the concerned subject in a Recognized/Permitted Medical College.
   (xi) Any Published research paper.
   (xii) Caste Certificate- SC/ST/OBC(Non-Creamy layer)/MBC(Non-Creamy layer)/EWS of Rajasthan (Preferably with Photograph) and Bonafide Certificate.

   <u>NOTE:-</u> 1- Candidates, belonging to Backward Classes/More Backward Classes/EWS, must bring OBC/MBC/EWS Certificate (financial year 2022-23) in the prescribed format of Government of Rajasthan which should not be more than one year old.

   2- Caste Certificate-SC/ST/OBC(Non-Creamy layer)/MBC(Non-Creamy layer)/EWS of Rajasthan which should be before last date of online application form (Preferably with Photograph) or an affidavit according DOP Circular dated 17-10-2022 and Bonafide Certificate.

   (xiii) Disabled Person (P.H.-One leg lower limb) Certificate.
   (xiv) Marriage Registration Certificate/Affidavit.

मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी की काउन्सलिंग निरस्त करने का आयोग का पूर्ण अधिकार होगा।

5. भूतपूर्व सैनिक (EX) श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विसमेन की डायरी एवं पेंशन/पी.पी.ओ. कार्ड संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि सेवारत हैं तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के अनुसार सेना विभाग सेवानिवृति संबंधी एन.ओ.सी. भी अवश्य संलग्न करें। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 16.08.16 के अनुसार यदि भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ प्राप्त करते हुए सेवा में नियोजित है तो उसका विस्तृत आवेदन पत्र में उल्लेख करते हुए आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें ।

6. परित्यक्ता महिला (DV) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ तलाक की डिक्री संलग्न करें। विधवा महिला (WD) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ उसके पति की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रामाणिक दस्तावेज जिसमें पति–पत्नी होने का उल्लेख हो की प्रति संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है तो इसकी सूचना भी मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

7. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों का राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा न कि पति के नाम का।

8. अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु आयोग की वेबसाईट पर जारी किये गये काउन्सलिंग पत्र, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आयें। काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।